दिनाँक: 12-04-2020

प्रति,
श्रीमान समस्त कलेक्टर,
गुजरात

विषय:- <u>COVID-19 महामारी से पुनर्वास के लिए DMF फंड जारी करने हेतु अनुरोध</u>

महोदय,

COVID-19 महामारी के कारण दुनिया भर में लोग असाधारण और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहें है। जबकि हम में से कई लोग भविष्य में मुसीबत आने पर सुरक्षा के अनेक उपाय कर रखे हैं जिनमें नौकरी की सुरक्षा, अलग-अलग तरह के बीमा, खाद्य सुरक्षा और आश्रय शामिल हैं; इस स्वास्थ्य देखभाल आपदा के लिए कई लोगों की स्थिति ज्यादा ख़राब हो गयी है। खनन के कारण विस्थापित होने वाले खदान मजदूर, खनन प्रभावित समुदाय के लोगो का रोजगार छिन जाना पूर्ण लॉकडाउन के कारण आय के श्रोत का अचानक से बंद हो जाना भयावह त्रासदी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रभाव विशेष रूप से असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर अकल्पनीय और गंभीर होगा, जो 95% से अधिक भारतीय कामकाजी आबादी का गठन करते हैं।

हालांकि, प्राथमिकता के आधार पर लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य एवं आपात स्थितियों को दूर करने के लिए वित्तीय संसाधनों की तलाश करनी होगी। भारत में पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अभाव में लोग नियमित या आपातकालीन चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जेब से खर्च करते हैं। आय के श्रोत का अचानक से चले जाने से इस नुकसान की भरपाई के लिए एक तंत्र होना चाहिए, जो उभरती हुई चिकित्सा में बाधा को दूर करे।

इस संबंध में, जिला खनिज फाउंडेशन में मौजूद धन का उपयोग COVID-19 महामारी के कारण अत्यधिक आर्थिक स्थिति का सामना करने वाले खनन श्रमिकों के पुनर्वास में मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। खनन प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों तथा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सख्त आवश्यकता है क्योंकि दैनिक खाद्य पदार्थों को खरीदने, किराए, बिजली, पानी, मोबाइल शुल्क, दवाई, कपड़े और अन्य रोजमर्रा की जरुरत को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ है। हम खनन प्रभावित क्षेत्रों के जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वे इस पर संज्ञान लें और उसके अनुसार कार्य करें। जिला प्रशासन लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकता है।

1- लॉकडाउन (आपातकालीन स्थिति) में जिला खनिज निधि का उपयोग करके खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोग या उनका परिवार एवं खनन क्षेत्र के आस-पास के समुदाय के लोग जो प्रभावित हुए है उनके आर्थिक उपार्जन के लिए उपयोग होना चाहिए। क्योकि आमदनी का जरिया समाप्त हो गया है।
2- जिला खनिज निधि के उपयोग हेतु कोई एक व्यक्ति निर्णय न ले यह समिति में जुड़े सदस्यों द्वारा तय होना चाहिए।

Main. Off.:- Door No:1-163, Dabbanda, Gandigundam Post, Pendurthi Sub Post Office, Pendurthi, 531173 Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Add. 2:- 1, Punayshlok Appartment, Near Liberty Bus Stop, University Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380009
Emai:- mmpindia@gmail.com **Website:-** www.mmpindia.in

3- जिला खनिज निधि का उपयोग सिर्फ खनन प्रभावित ज़िले और COVID-19 महामारी से प्रभावित ज़िले में होना चाहिए न कि अन्य ज़िले हो।
4- कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या सरकार में तैनात कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या मंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधान मंत्री राहत कोष या प्रधान मंत्री COVID-19 राहत कोष में स्थानांतरण नहीं कर सकता है, यह हमारी मांग है।

भवदीय

रवि रेबप्रगडा	**अशोक श्रीमाली**	**एडवोकेट आनंदवर्धन याग्निक**
अध्यक्ष, एम्.एम्.पी	महासचिव, एम्.एम्.पी	उच्च न्यायालय, गुजरात

1- **अमरसिंह भाई चौधरी**, राष्ट्रीय प्रमुख- आदिवासी समंवय मंच, एवं सदस्य- खान, खनिज और लोग (mm&P)

2- **अशोक भाई चौधरी** - राष्ट्रीय सचिव, आदिवासी एकता परिषद एवं सदस्य- खान, खनिज और लोग (mm&P)

3- **भद्राबेन गामित**- महिला सदस्य, आदिवासी एकता परिषद एवं सदस्य- खान, खनिज और लोग (mm&P)

4- **भूपेंद्र चौधरी**- सदस्य, आदिवासी एकता परिषद एवं सदस्य- खान, खनिज और लोग (mm&P)

Main. Off.:- Door No:1-163, Dabbanda, Gandigundam Post, Pendurthi Sub Post Office, Pendurthi, 531173 Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Add. 2:- 1, Punayshlok Appartment, Near Liberty Bus Stop, University Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380009
Emai:- mmpindia@gmail.com **Website:-** www.mmpindia.in